

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) and (b). Some complaints have been received and these are being looked into.

ग्रामों की नई किस्म

1116. श्री नवाब सिंह चौहान : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान 'नीलम' तथा 'दशहरी' ग्रामों के संकरण से जो नयी किस्म तैयार की गयी उसके कितने पीछे तैयार करके केन्द्रीय पोष-शालाओं (नर्सरियों) को लगाने के लिए दिए जा चुके हैं और इन्हे तैयार करने का काम किम-किम स्थान पर किया जा रहा है ; और

(ख) किन क्षेत्रों में इस किस्म के ग्राम की अधिक मांग है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) मल्लिका किस्म, जो नीलम और दशहरी ग्रामों के संकरण से तैयार की गई है, की छः सौ चरमे-युक्त क्लमें (वड म्टिकम) गत वर्ष दो केन्द्रीय संस्थानों तथा नौ कृषि विश्वविद्यालयों व अनुसंधान केन्द्रों को दी गई है। इसके प्रतिरिक्त, 48 क्लम चड़े पीछे प्रोग्रेसिव प्रोग्राम का 20 पीछे परिचालन अनुसंधान प्रायोजनार्थों के अधीन कार्यरत केन्द्रों को तथा 108 पीछे विभिन्न राज्यों के राष्ट्रीय प्रदर्शनी हेतु दिए गए हैं। इन केन्द्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी अपनी पोषशालाओं (नर्सरियों) में इनका प्रचार करेंगे। वर्तमान स्थिति में, इन पीछों की सख्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में बढ़ायी जा रही है।

(ख) इस किस्म की मांग देश के उत्तरी, उत्तर पश्चिमी तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अच्छी है।

विश्वविद्यालयों कालेजों में शिक्षकों की नियुक्ति में अनुसूचित जातियों के प्रत्याशियों को प्राथमिकता

1117. श्री नवाब सिंह चौहान : क्या शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय तथा अन्य विश्व-विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों को, यदि वे निर्धारित योग्यताएं पूरी करते हों, कोई प्राथमिकता दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में नियम क्या हैं और क्या इन नियमों का पालन किया जा रहा है। और

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच कराई गई है। यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले।

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्दर) : (क) मे (ग) विश्वविद्यालयों/कालेजों में लेक्चररों के पदों पर भर्तियों के लिए, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों हेतु आरक्षण को सुनिश्चित करने की दृष्टि से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राज्य विश्वविद्यालयों राज्य सरकारों और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को निम्नलिखित प्रक्रिया की सिफारिश की है :—

- (1) प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के आरम्भ होने से पूर्व विश्व-विद्यालय को लेक्चररों के पदों पर भर्तियों के लिए उस वर्ष के दौरान होने वाली सम्भावित रिक्तियों को निर्धारित कर लेना चाहिए।